# FORM No. III

# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

उदयराम बनाम राज० राज्य सरकार

मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 41 सन् 2022 (2022/75)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04/9/2023 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पेशकार सरकार उपस्थित। संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरुद्ध विपक्षी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की ग्राम सिरोड़ी प.ह. बड़ोदिया की आ.नं. 1188, 1189, 1192 कीता 3 रकबा 1.7100 हे. स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता नारू पिता प्रताप जी पमार निवासी शिवसिंह खेड़ा को मिसल नम्बर 196/66 दिनांक 25/5/1967 को आवंटन हुई थी। उक्त आराजी बिलानाम होने से आवंटन हुई, जिसे प्रार्थीगण ने काफी अंग मेहनत कर जमीन को आबाद किया व कृषि योग्य बनाया। मृतक नारूजी के साथ उक्त जमीन पर प्रार्थीगण खेती करते थे, नारूजी के मरने के बाद प्रार्थीगण काबिज होकर खेती कर रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता नारूजी का देहान्त होजाने से इन्तकाल नम्बर 413 दिनांक 14.9.2009 को खुलकर जमीन हम प्रार्थीगण के नाम पर अंकित होगई है मगर जमाबन्दी में हमारे नाम के आगे शिकमी लिख दिया है, जो गलत है। आवंटन को करीब .... लगातार | |

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | 55 वर्ष हो चुके हैं। प्रार्थीगण का मालिकाना हक अधिकार से कब्जा है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद सिर्फ खातेदार के नाम ही अंकित किया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा लिरोडी तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 1188, 1189, 1192 कुल कीता 3 कुल रकबा 1.7100 हे. पर अंकित शिकमी शब्द विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। |
| | प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकील सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया कि आवेदन के समय पर ना.सं. 111 दर्ज किया गया उसमे भी शिकमी दर्ज किया है एवं वर्तमान मे भी शिकमी ही चल रहा है, वर्तमान मे नवीन भू प्रबन्ध को लगभग 40 वर्ष हो चुके है, प्रार्थी अब सुधार कराना चाहते है, जो उचित नही है। ~~[illegible]~~ |
| | प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी 2070-2073 नकल जमाबन्दी 2066-2069, नकल जमाबन्दी 2022 से 2025, इतकाल संख्या 111, मिलान खसरा के आवेदन संख्या की प्रतियां प्रस्तुत की। बहस प्रकरण सुनी गई। |
| | हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर बहस प्रकरण पर गहनता से मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता नारू पिता प्रताप को मिसल नम्बर 191/66 से भूमि आवंटित हुई। भूमि का आवंटन |
| | ... लगातार |

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | बिलानाम भूमि से हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात शिकमी काश्तकार नहीं रहे लेकिन नारू पिता प्रताप चमार को आवंटन के नामान्तरकरण संख्या 111 मे शिकमी अंकित कर दिया जो उचित नहीं है। नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी मे भी शिकमी दर्ज कर दिया जो अवैध है, उसे हटाने का आदेश प्रदान करावें। पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प. ह. बडोलिया को जारी पत्र दिनांक 24/5/1967 अनुसार नारू पिता प्रताप चमार को आराजी नम्बर 373 मे से 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित हुई जिसमे आवंटी को शिकमी नहीं बताया लेकिन नामान्तरकरण संख्या 111 से बिलानाम सरकार आ. नं. 373 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि शिकमी नारू पिता प्रताप चमार सा. शिवसिंह का खेड़ा अंकित कर दिया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2066-2069 अनुसार आवंटी नारू पिता प्रताप के बजाय उदयराम किशनलाल श्यामलाल मगुबाई सायरबाई बालीबाई पिता नारू मु. भानी पत्नी स्व. नारू के नाम अंकित हुए जो ना. सं. 568 दिनांक 20.6.13 से हिलीज डीड से मगुबाई सायरबाई बालीबाई पि. नारू भानी पत्नी स्व. नारू के बजाय उदयराम किशनलाल श्यामलाल पि. नारू चमार सा. शिवसिंह का खेड़ा अंकित किया गया। साबिक आ. नं. 373 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा के नकल मिलान रिकार्ड अनुसार नवीन आ. नं. 1188 रकबा 0.16, 1189 रकबा 1.29, 1192 रकबा 0.26 हे. बने है एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 251 मे अंकित आ. नं. 1188, 1189, 1192 कीता 3 रकबा 1.7100 हे. पर खातेदार उदयराम किशनलाल श्यामलाल पिता नारू जटिया सा. शिवसिंह का खेड़ा शिकमी अंकित किए हुए है<br>..... लगातार<br><br>(हस्ताक्षर)<br>(रामचन्द्र खटीक)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | इस प्रकार आराजी नम्बर 373 बिलानाम थी। नारू पिता प्रताप चमार को आवंटन से प्राप्त हुई थी। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद कोई भी शिकमी काश्तकार नहीं रहे थे, फिर भी अप्रार्थी नारू पिता प्रताप चमार को शिकमी क्यों अंकित किया गया, किस आदेश से किया गया विपक्षी ने अपने जवाब में स्पष्ट नहीं किया। अप्रार्थी नारू का शिकमी के नाम से जो नामान्तरकरण निर्मित किया गया एवं इसी के आधार पर विरासत से प्रार्थीगण के नाम शिकमी दर्ज किया गया है जो विधि विरुद्ध है. काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद शिकमी का कोई प्रावधान नहीं रहा है। |
| ता. डी. 379 05/09/23 | उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाकर मौजा सिरोडी प०ह० बड़ौतरिला के खाता संख्या 251 में अंकित आराजी नम्बरान 1188, 1189, 1192 कीता 3 कुल रकबा 1.7100 में अप्रार्थीगण किशनलाल, श्यामलाल पिता नारूजरिया सा. शिवसिंह का खेड़ा शिकमी अंकित है में से शिकमी शब्द विलोपित किया जाकर आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>(रामचन्द्र खटीक)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चित्तौड़गढ़ |